

2025/380

श्री ५

फर्द अहकाम

०९.०६.२०२५

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
नोरंगलाल बनाम मानाराम आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 268 वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
02.06.2025	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 20.06.2025 को पेश हो।</p> <p>OR</p> <p>वकील मुक्ति वादी ने आवेदन - पत्र मिथाल पेश किया जले पर प्रभावकी को पेशी में निपा गयो। वकुलाए फरिदेल उपखण्ड प्रहरी कारो करे। ता 3 ले जखिरे वकील डिपेण मारु के जावड 5 वा पेश किया जिसे शकिल करल किया गया। सेट्ट जआड पारु हुकरा प्रभावकी वाले वरु शकिल ता 10/6/2025 को पेश हो।</p> <p>OR</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये</p> <p>3/11/2025</p> <p>श्री गेरा</p> <p>ज्योति</p> <p>Jyoti</p> <p>Shri Gera</p>
9.6.2025	<p>वकुलाए फरिदेल उपखण्ड प्रहरी कारो वरु मुमी गरी प्रभावकी का अवलोकन किया गया। प्रभावकी पर उपखण्ड प्रहरी कारो व वकील प्रहरी कारो की सहकारि के आधार पर वाद की हुकरा निपा जाला है। प्रहरी डिपेण अहित निरपि अवरु से निपाया जाकर शामिल फरिल डिपे लखे। प्रभावकी नम्बर से कम की जाकर काउ नवमीद तकलील जाला दाखिल फरु हो।</p> <p>OR</p>	<p>QR Code</p>